



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

F.No.UAC/Mohali&Chd/2025/

Dated: 01.08.2025

To,

1. The Director, Deptt. of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India, Govt. of India, Room No.119, Vanijya Bhawan, New Delhi-110001
2. The Joint Director General of Foreign Trade, Bhai Randhir Singh, Niryat Bhawan, BSNL Telephone Exchange, E-Block, Ludhiana, Punjab
3. The Dy. Secretary (IF-1), Banking Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt. of India, 3rd Floor, Jeevan Deep Building Parliament Street, New Delhi
4. The Commissioner of Customs, GRFL, Ludhiana, Punjab
5. The Commissioner of Income Tax, Sector - 17A, Chandigarh (For Mohali Region)
6. The Joint Development Commissioner, Noida SEZ, Noida
7. The Managing Director, P.S.I.E.C., Sector 17, Chandigarh
8. The Director of Industries, Government of Punjab, Sector 17, Chandigarh
9. The Developer, M/s Quarkcity India Pvt. Ltd.(SEZ), Mohali (Special Invitee)

Sub: - Minutes of Unit Approval Committee Meeting held on 23.07.2025 in respect of Private SEZ(s) located at Mohali and Chandigarh - Regarding.

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith the copy of Minutes of the Unit Approval Committee meeting held on 23.07.2025 under the chairmanship of Shri A. Bipin Menon, Development Commissioner, Noida Special Economic Zone, Noida in respect of Private SEZ(s) located in Mohali and Chandigarh for necessary action.

Encl. as above

Yours faithfully,

(Gya Prasad)

Dy. Development Commissioner

Copy to:

1. OSD to DC, NSEZ.
2. PA to JDC, NSEZ.
3. PA to DDC-2, NSEZ.
4. The Specified Officer, SEZ(s) Mohali

23.07.2025 को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में मोहाली/चंडीगढ़ में निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाई अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

मोहाली/चंडीगढ़ क्षेत्र में निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) की बैठक का कार्यवृत्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के विकास आयुक्त श्री ए बिपिन मेनन की अध्यक्षता में 23.07.2025 को शाम 5:00 बजे हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित किया गया।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक के दौरान इकाई अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, आईआरएस, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
2. सुश्री तान्या बेंस, उप आयुक्त (सीमा शुल्क)
3. सुश्री प्रियंका धर, संयुक्त आयुक्त, आयकर विभाग, पंजाब
4. श्री एसपीएस ढिल्लों, डीजीएम, पीएसआईसी, चंडीगढ़।
5. श्री उत्पल आचार्य, संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशालय, (डीजीएफटी)

इसके अलावा, बैठक के दौरान अनुमोदन समिति की सहायता के लिए निम्नलिखित अधिकारी भी उपस्थित थे

- i) श्री गया प्रसाद, उप विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ)
- ii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त।
- iii) श्री मनोज नैयर, निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ),

क्योंकि गणपूर्ति उपलब्ध था, इसलिए कार्यसूची क्रमिक रूप से लिया गया। प्रारंभ में, अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श और आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

कार्यसूची मद संख्या 1:- विषय: दिनांक 04.03.2025 को आयोजित इकाई अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

1.1 समिति को सूचित किया गया कि 03.06.2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था। अतः दिनांक 03.06.2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

कार्यसूची मद संख्या 2:- क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विकासक - अधिकृत संचालन के लिए सामग्री की सूची का अनुमोदन।

सुरेन्द्र मलिक

2.1 मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विकासक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र चौहान और श्री संजीव बाटला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्री की आवश्यकता के बारे में बताया।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मोहाली, पंजाब स्थित अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में निम्नलिखित अधिकृत परिचालनों को जारी रखने के लिए मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दी:

क्र. सं.	अधिकृत संचालन	क्रमांक संख्या 50 और 54 के अनुसार सामग्री की डिफॉल्ट सूची पर संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपये में)
i	प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण	22	476.77
ii	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण संजाल (Network) जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक सबस्टेशन, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं	04	21.00
iii	इंटरनेट संयोजकता (Internet connectivity) सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	92.65
	कुल		590.42

2.3 अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यसूची मद संख्या 3: क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विकासक - अतिरिक्त निविष्ट सेवा का अनुमोदन।

3.1 मेसर्स क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विकासक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री वीरेंद्र चौहान और श्री संजीव बाटला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित निविष्ट सेवा की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अतिरिक्त सेवा अर्थात " अचल संपत्ति सेवाएं - विशेष रूप से अधिकृत कार्यों के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के भीतर स्थान किराए पर लेने के लिए" को ए-40ए, औद्योगिक फोकल प्वाइंट, मोहाली, पंजाब में स्थित क्वार्कसिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में अधिकृत संचालन करने के लिए मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 4: मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - परिचालन क्षेत्र का विस्तार।

4.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती गुरदीप कौर और श्री नवनीता कृष्णन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 40ए, क्वार्कसिटी आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक क्षेत्र, फेज 8बी, एसएसएस नगर, मोहाली, पंजाब में लैंडमार्क प्लाजा (एफ3 टावर) की दूसरी मंजिल पर 7850 वर्ग फुट के प्रवेश क्षेत्र के विस्तार हेतु मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कार्यसूची मद संख्या 5: मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - क्षेत्र विस्तार एवं अनुमानों में संशोधन।

5.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती गुरदीप कौर एवं श्री नवनीता कृष्णन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

5.2 यह सूचित किया गया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:

(i) अनुमानित विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट में, मौजूदा अनुमानों के मूल्यों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए, इकाई को प्रारूप के अनुसार संशोधित एवं सही विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

(ii) इकाई ने आयातित सीजी, निविष्ट सेवाओं और स्वदेशी सीजी एवं निविष्ट सेवाओं का संयुक्त मूल्य प्रस्तुत किया था। हालाँकि, इकाई को क्रम संख्या एवं सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के विवरण के अनुसार स्वदेशी सीजी, निविष्ट सेवाओं और स्वदेशी सीजी एवं निविष्ट सेवाओं की अलग सूची प्रस्तुत करनी होगी। इसके अलावा, इकाई ने विदेशी मुद्रा व्यय का मूल्य 2185 लाख रुपये बताया था, जबकि आयातित सीजी का मूल्य 2185.17 लाख रुपये बताया गया है, जिसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

5.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 40ए, क्वार्कसिटी आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक क्षेत्र, फेज 8बी, एसएसएस नगर, मोहाली, पंजाब में लैंडमार्क प्लाजा (एफ3 टावर) की 10वीं मंजिल पर 45342 वर्ग फुट के प्रवेश क्षेत्र के विस्तार और अनुमानों में संशोधन के लिए मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त अनुच्छेद 5.2 में उल्लिखित कमियों को दूर करने के लिए प्रस्तुत किए जाने के अधीन है।

कार्यसूची मद संख्या 6: मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई के परिसर में कैफेटेरिया की स्थापना।

सुरेंद्र मलिक

6.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती गुरदीप कौर और श्री नवनीता कृष्णन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2 यह सूचित किया गया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:

- (i) इकाई ने यह वचनबद्धता प्रस्तुत नहीं की है कि वे ऐसी सुविधाओं के निर्माण या संचालन के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के अंतर्गत कर/शुल्क लाभ, कोई छूट, वापसी, रियायतें या कोई अन्य लाभ नहीं लेंगे।
- (ii) इकाई ने कैफेटेरिया के लिए दिए गए विक्रेता/अनुबंध का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
- (iii) इकाई ने विक्रेता/अनुबंध का भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) पंजीकरण प्रस्तुत नहीं किया है।
- (iv) इकाई ने विक्रेता/अनुबंध और मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए समझौते की प्रति प्रस्तुत नहीं की है।

6.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, क्वार्कसिटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), लैंडमार्क प्लाजा (एफ-3 टावर), ए-40ए, फेज-VIII एक्सटेंशन, औद्योगिक फोकल प्वाइंट, मोहाली में 10वीं मंजिल पर 3500 वर्ग फुट क्षेत्र में एक कैफेटेरिया स्थापित करने के मेसर्स बूंगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियम, 2006 के नियम 11(5) के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) इकाई के कर्मचारियों के अनन्य उपयोग के लिए, दिनांक 11.06.2019 के निर्देश संख्या 95 के साथ पठित है। इसके अलावा, यह वैधानिक अनुपालन के अधीन है और इस शर्त के अधीन है कि न तो इकाई और न ही उसके विक्रेता, इकाई द्वारा विकास को भुगतान किए गए पट्टे/अन्य शुल्कों पर शून्य रेटिंग के लाभों को छोड़कर, इकाई के परिसर में उपरोक्त सुविधा स्थापित करने और संचालित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम/विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नियमों के तहत उपलब्ध किसी भी छूट, वापसी, रियायत या किसी अन्य लाभ के लिए पात्र होंगे। इकाई को निर्देश संख्या 95 दिनांक 11.06.2019 के अंतर्गत, जहाँ भी लागू हो, संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों से अग्नि, स्वास्थ्य आदि जैसे आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र/मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने होंगे। निर्दिष्ट अधिकारी यह सत्यापित और सुनिश्चित करेगा कि इकाई परिसर में उपरोक्त सुविधा में वैधानिक अनुपालन पूरा हो रहा है।

6.4 इसके अतिरिक्त, अनुमोदन उपरोक्त अनुच्छेद 6.2 में इंगित कमियों के सुधार प्रस्तुत करने के अधीन है।

कार्यसूची मद संख्या 7: मेसर्स बीसॉल्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - परिचालन क्षेत्र का विस्तार।

सुरेंद्र मल्लिक

7.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सुमित सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

7.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और समुचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 40ए, क्वार्कसिटी आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक क्षेत्र, फेज 8बी, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब में लैंडमार्क प्लाजा (एफ-टावर-3) की चौथी मंजिल पर 4500 वर्ग फुट के विस्तार हेतु मेसर्स वीसॉल्वर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 8: टीटीईसी इंडिया कस्टमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड - परिचालन क्षेत्र का विस्तार।

8.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री धर्मेन्द्र कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्लॉट संख्या 40ए, क्वार्कसिटी आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक क्षेत्र, फेज 8बी, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब में लैंडमार्क प्लाजा बिल्डिंग की 12वीं मंजिल पर 21500 वर्ग फुट के विस्तार हेतु मेसर्स टीटीईसी इंडिया कस्टमर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कार्यसूची मद संख्या 9: मेसर्स नेपक्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - परिचालन क्षेत्र में विलोपन

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री दीपक जगोटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

9.2 यह सूचित किया गया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई हैं:

- (i) इकाई ने विदेशी मुद्रा बैलेंस शीट का पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
- (ii) इकाई ने निर्धारित प्रारूप के अनुसार अनुमानों में संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।
- (iii) इकाई को हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में एसओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (iv) विकासक ने दिनांक 13.05.2025 को जारी अपने अस्थायी प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि वे इकाई के दोनों अनुरोधों, अर्थात् क्षेत्रफल में कमी और उसी तल, अर्थात् दूसरी मंजिल पर कार्यालय ज़ोन-सी को ज़ोन-ए में बदलने, पर सहमत हैं। हालाँकि, इकाई ने दिनांक 10.07.2025 के अपने पत्र में कार्यालय के स्थानांतरण का उल्लेख नहीं किया है, जिसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

9.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स नेपक्लाउड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें दूसरी मंजिल पर 5800 वर्ग फुट

के प्रवेश क्षेत्र को हटाने और उसी मंजिल पर इकाई के कार्यालय को ज़ोन-सी से ज़ोन-ए में बदलने का प्रस्ताव शामिल था, अर्थात प्लॉट संख्या 40ए, क्वार्कसिटी आईटी विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) औद्योगिक क्षेत्र, फेज 8बी, एसएस नगर, मोहाली, पंजाब स्थित लैंडमार्क प्लाजा बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर। यह अनुमोदन ऊपर अनुच्छेद 9.2 में उल्लिखित दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने के अधीन है।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त